

01/02/21

पत्रावली प्रस्तुत। मूल वाद का निस्तारण होने के कारण प्रा० पत्र 212 RTA औचित्यहीन है अतः प्रा० पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नं० से कम हो

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

